

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी के प्रकरण से संबंधित 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा मान्धाता मोड़ विश्वनाथगंज से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 10.10.2024 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मौजा खुशफरा में वादिनी के परिवारीजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 153/24 धारा 74, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस का अभियोग बनाम 08 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता व 02 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वाँछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना देल्हूपुर के थानाध्यक्ष श्री धनंजय राय के नेतृत्व में उ०नि० उमाशंकर सिंह मय हमराह हे०का० शिशुपाल सिंह, का० अनीश गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर के मु०अ०सं०- 153/24 धारा 74, 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस से संबंधित 02 वाँछित अभियुक्त 1. अतीक अहमद उर्फ अहीद खान पुत्र जमालउद्दीन निवासी ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़, 2. मो० वहीद पुत्र जमालउद्दीन निवासी ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत मान्धाता मोड़ विश्वनाथगंज से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

1. अतीक अहमद उर्फ अहीद खान पुत्र जमालउद्दीन निवासी ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़।
2. मो० वहीद पुत्र जमालउद्दीन निवासी ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० उमाशंकर सिंह मय हमराह हे०का० शिशुपाल सिंह, का० अनीश गुप्ता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट, छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने के अभियोग में 02 वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

लूट, छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने के अभियोग में 02 वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सीताराम धाम के पास मन्दिर के पास से किये गये गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 अदद मोबाइल फोन व 500/-रूपये बरामद

प्रतापगढ़-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा वादी के पुत्री व पड़ोसी के साथ लूट, छेड़खानी, मारपीट, धमकी देने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं०- 593/24 धारा 75,115(2),309(4),351(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्त व 01 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में दि०- 27.10.2024 को उ०नि० राजेश कुमार राय मय हमराह हे०का० अजय कुमार, का० रंजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर के मु०अ०सं०- 593/24 धारा 75,115(2),309(6),351(2) बीएनएस से संबंधित 02 वाँछित अभियुक्तगण 1- अनूप कु० कुमार यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी पूरे चकवनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 2- अनुपम ओझा पुत्र प्रेम शंकर ओझा निवासी चकवनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को लूट के 01 अदद मोबाइल फोन व 500/-रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब हम लोगों व हमारे अन्य साथियों द्वारा पूरे ओझा गांव के पास सुनसास जगह राहगीरों से मोबाइल फोन व पैसे छीने थे जो रूपये व मोबाइल फोन आज हमारे पास से मिले है। उसी घटना के है। बाकी के पैसे हमसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अनूप कुमार यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी पूरे चकवनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- अनुपम ओझा पुत्र प्रेम शंकर ओझा निवासी चकवनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- लूट के 01 अदद मोबाइल फोन व 500/-रूपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - उ०नि० राजेश कुमार राय मय हमराह हे०का० अजय कुमार, का० रंजीत कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी अपहरण कर दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के भूपियामऊ चौराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 05.07.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अन्तर्गत धारा 87, 137(2) बी०एन०एस० का अभियोग बनाम 01 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ०नि० अनीश कुमार यादव मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश पुत्र मुंशी उर्फ राजेन्द्र कुमार गौतम निवासी मुकूनपुर भाटी थाना कोहंडौर प्रतापगढ़ को दिनांक 28.10.2024 को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के भूपियामऊ चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आकाश पुत्र मुंशी उर्फ राजेन्द्र कुमार को अन्तर्गत 64(1), 137(2), 87 बी०एन०एस० व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- आकाश पुत्र मुंशी उर्फ राजेन्द्र कुमार गौतम निवासी मुकूनपुर भाटी थाना कोहंडौर प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० अनीश कुमार यादव मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना कोहंडौर पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम पालूपुर से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को आरोपीगण द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री का अपहरण करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर में अन्तर्गत 137(2), 61(2)(ए) बी०एन०एस० का अभियोग बनाम 03 नामजद अभियुक्त/ अभियुक्ता पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोहंडौर के थाना प्रभारी श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह म0का0 हिना दुबे, हे0का0 शिवपूजन चौधरी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्ता को दिनांक 28.10.2024 को थानाक्षेत्र कोहंडौर के ग्राम पालूपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह म0का0 हिना दुबे, हे0का0 शिवपूजन चौधरी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।